मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
"चयन भवन" मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
दूरभाष नं. 0755–2578801 से 04, फैक्स नं. 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

Pre-Nursing Selection Test (PNST) - 2011
&
General Nursing Selection Test (GNTST) - 2011

• Starting Date of Online Submission		28.04.2011
• Last date of Online Submission		14.05.2011
• Date of Test		29.05.2011
• Test Fee	For GNTST	SC/ST - 250/- UR/OBC - 500/-
	For PNST	SC/ST - 250/- UR/OBC - 500/-
	For Both (GNTST & PNST)	SC/ST - 500/- UR/OBC - 1000/-
+ 50/- M.P. Online Kiosk Charge		

TIME TABLE

Day and Date of Test	Test Starts	Distribution of Answer Sheet	Time for filling the required entries on the Answer Sheet	Distribution of Question Booklet	Time for Examining the Question Booklet	Time for Marking the Answers on the Answer Sheet
For GNTST Sunday 29.05.2011	9.00 AM	9.00 AM	9.00 AM TO 9.10 AM = 10 Minutes	9.10 AM	9.10 AM TO 9.15 AM = 05 Minutes	9.15 AM TO 12.15 PM = 3 Hrs.
For PNST Sunday 29.05.2011	2.00 PM	2.00 PM	2.00 PM TO 2.10 PM = 10 Minutes	2.10 PM	2.10 PM TO 2.15 PM = 05 Minutes	2.15 PM TO 5.15 PM = 3 Hrs.

NOTE :

- A candidate entering the examination hall after 15 minutes from the commencement of the test shall not be permitted to take the test.
- The candidate must handover the marked OMR answer sheet to the invigilator before leaving the examination hall.
- Use of cellular/mobile phones, calculators, log tables, stray papers etc. is strictly prohibited.

विषय–सूची

		कंडिका	पृष्ठ क्रं.

अध्याय – 1(अ)
पी.एन.एस.टी.–2011 प्रवेश परीक्षा के नियम

–	सामान्य	1.1	4
–	सीटों का आरक्षण	1.2	4
–	प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें	1.3	5
–	शैक्षणिक अर्हता	1.3.2	5
–	चयन प्रक्रिया	1.4	6
–	प्रवेश हेतु एवं काउंसिलिंग	1.5	6
–	प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य सेवा	1.6	7
–	प्रवेश रद्द करना	1.7	7
–	प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम तथा प्रशिक्षणार्थियों हेतु रिक्त स्थान	परिशिष्ट–अ	8
–	बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें	परिशिष्ट–ब	9

अध्याय – 1(ब)
जी.एन.टी.एस.टी.–2011 प्रवेश परीक्षा के नियम

–	सामान्य	1.1	11
–	सीटों का आरक्षण	1.2	11
–	प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें	1.3	12
–	शैक्षणिक अर्हता	1.3.2	13
–	चयन प्रक्रिया	1.4	13
–	प्रवेश हेतु एवं काउंसिलिंग	1.5	14
–	प्रशिक्षण के उपरांत 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा	1.6.1	15
–	प्रवेश रद्द करना	1.7	16
–	प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम तथा प्रशिक्षणार्थियों हेतु रिक्त स्थान	परिशिष्ट–अ	16
–	बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें	परिशिष्ट–ब	17

अध्याय – 2
निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

–	ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया	2.2	18
–	फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देश	2.3	18
–	ऑनलाईन आवेदन–पत्र की स्क्रुटनी	2.4	19
–	परीक्षा प्रवेश पत्र (Test Admit Card)	2.6	20
–	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	2.14	22
–	क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)	2.20	23

अध्याय – 3
प्रमाण–पत्रों के प्रारूप 01 से 10 पृष्ठ क्रं. 24 से 32 तक

–

अध्याय – 4
पाठ्यक्रम पृष्ठ क्रं. 33 से 39 तक

अध्याय – 5
परीक्षार्थियों के लिए उत्तरशीट भरने हेतु निर्देश

–	परीक्षा का प्रारंभ एवं ओ.एम.आर. में उत्तर अंकित करने की विधि		40–43

अध्याय – 1(अ)

PNST - 2011

PRE NURSING SELECTION TEST - 2011
(B.Sc. NURSING SELECTION TEST)

FOR GIRLS ONLY

केवल लड़कियों के लिये बी.एससी. नर्सिंग में प्रवेश हेतु

उम्मीदवारों का चयन संबंधी नियम

मध्यप्रदेश शासन

चयन नियम

RULES FOR SELECTION

SELECTION OF CANDIDATES FOR ADMISSION TO B.Sc. NURSING
(4 YEARS COURSE) TO GOVERNMENT NURSING COLLEGE

2011

Made and Issued by

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

अध्याय – 1(अ)

पी.एन.एस.टी. – 2011
बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु
चयन के लिए नियम – 2011

1.1 सामान्य :

1.1. ये नियम राज्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के शासकीय ''बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम'' कहलायेंगे।

1.1.1 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं।

1.1.2 परिभाषाएं :
इन नियमों में –

1. श्रेणी से तात्पर्य है 3 श्रेणियों के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी हैं।
2. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
3. टेस्ट से तात्पर्य Pre. Nursing (BSC Nursing) Selection Test (PNST) प्री नर्सिंग चयन परीक्षा।
4. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालक चिकित्सा शिक्षा तथा उप संचालक (नर्सिंग), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय।

1.2 सीटों का आरक्षण :

बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट –''अ''– में दिया गया है।

टिप्पणी :–

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण–पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (जी.एन.टी. में उपयोग किये गये प्रारूप की छायाप्रति संलग्न है)

नोट– प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ–जहाँ प्रमाण–पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय–3) देखें।

1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) श्रेणी – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति श्रेणी में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :–

(अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र।

(ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता कानाम, यदि माता–पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ–पत्र।

(स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ–पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

(द) यदि ऐसा शपथ–पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसमें प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी क्रीमीलेयर को छोड़कर – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर श्रेणी में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :–

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :–

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगीः–

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो।

अथवा

(ख) जो निम्नलिखित की पुत्री हो –

1. मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुये मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी (निर्धारित प्रारूप देखें)।

अथवा

2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित है अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो जनवरी 2009 को अथवा उसके पूर्व की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो।

3. ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो।

टिप्पणी–मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण :– 1. विकलांग उम्मीदवार के प्रावीण्यता (मैरिट) में आने की स्थिति में विकलांगता के साथ वह उम्मीदवार स्टाफ–नर्स के पद के कर्त्तव्यों को निभा सकेगी अथवा नहीं, ऐसा स्पष्ट मत जिला मेडिकल बोर्ड से लिया जाकर प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

1.3.2 शैक्षणिक अर्हता :– इन बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 की प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, जीवविज्ञान, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त केन्द्रीय स्कूल में 10+2 की कक्षा भौतिकी, जीवविज्ञान, रसायन एवं अंग्रेजी विषयों में 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।

1.3.2.1 अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यार्थियों की पात्रता :– प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो रही हैं, किन्तु इन छात्रों को अर्हकारी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश की पात्रता सिद्ध करनी होगी। पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर सीट आवंटित नहीं की जावेगी।

1.3.3 आयु सीमा :– 1 जनवरी 2011 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

1.3.4 स्पष्टीकरण :– आयु सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.4 चयन प्रक्रियाः–

1.4.1 बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग के प्रशिक्षण के चयन हेतु म. प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा बी.एस.सी. नर्सिंग चयन परीक्षा (प्री. नर्सिंग सलेक्शन टेस्ट.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूचियां श्रेणीवार उपलब्ध करायी जावेगी।

नोट– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई उम्मीदवार जिसका नाम अपने आरक्षित प्रवर्ग की योग्यता (मेरिट)/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित होने के आंतरिक अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यता (मेरिट)/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित हैं, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउंसलिंग के दौरान यह विकल्प होगा कि वह सीट आरक्षित श्रेणी का चयन करेगा अथवा अनारक्षित श्रेणी से।

1.4.2 इन चयन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न–पत्र होगा। कुल अंक भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी में प्राप्त अंको का योग होगा।

टीप– अंग्रेजी भाषा के प्रश्न–पत्र में प्राप्त अंकों को भी जोड़ कर प्रावीण्यता सूची तैयार की जावेगी।

1.4.3 समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :– समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर–निश्चित किया जावेगा। प्रथम–जीवविज्ञान, द्वितीय–रसायन, तृतीय–भौतिकी एवं चतुर्थ–अंग्रेजी।

1.4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीद्वारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से श्रेणी अनुसार योग्यताक्रम में सूचियां बनायी जावेंगी।

1.5 प्रवेश हेतु काउंसिलिंग :–

1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम कर वर्गवार (ओपन केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी एवं मेरिट क्रमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

1.5.2 काउंसिलिंग में उपस्थिति अनिवार्यः–

काउंसिलिंग में जो उम्मीद्वार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होंगे उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीद्वारों को मेरिट क्रमानुसार सीट आवंटित की जावेगी। नियत तिथि को उपस्थित न होने की स्थिति में चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

1.5.3 काउंसिलिंग का स्थान एवं दिनांक :–

आई.ई.सी. ब्यूरो, 1250 जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर, तुलसी नगर, भोपाल में 120 सीट के लिये आवंटन किया जायेगा। काउंसिलिंग निम्नलिखित दिनांक में आयोजित की जावेगी :–

काउंसिलिंग में उपस्थित होने की दिनांक	कैटेगरी (श्रेणी)	मेरिट क्रमांक (प्रथम चरण)
दिनांक 25.07.2011	ओपन कैटेगरी	01 से 150
दिनांक 25.07.2011	अनुसूचित जाति	01 से 50
दिनांक 25.07.2011	अनुसूचित जनजाति	01 से 50
दिनांक 25.07.2011	अन्य पिछड़ा वर्ग	01 से 40

नोट : सीट पूर्ण होने के पश्चात् काउंसिलिंग के दिनांक 25.7.2011 को उपस्थित होने वाले उम्मीदवार से मेरिट क्रमानुसार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची के लिए पृथक से कोई काउंसिलिंग नहीं की जावेगी।

1.5.4 काउंसिलिग के लिये प्रमाण–पत्रों की सूची :–

उम्मीदवारों को काउंसिलिंग में निम्न मूल प्रमाण–पत्र साथ में लाना अनिवार्य है अन्यथा उनको कोई सीट्स आंवटित नहीं की जावेगीः–

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची (बायोलॉजी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, साइंस ग्रुप) प्रत्येक की दो–दो सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
2. जाति प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की दो सत्यापित छायाप्रति।
4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण–पत्र। गर्भवती उम्मीदवार को अपात्र (अनफिट) मान्य किया जावेगा।
5. प्री. नर्सिंग सलेक्शन टेस्ट अंकसूची/प्रवेश पत्र मूलतः एवं दो सत्यापित छायाप्रति।

टिप्पणीः–

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वार को स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।

(ii) काउंसिलिंग में आने के पूर्व उम्मीद्वार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय–एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षणार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसिलिंग में उपस्थित न हों।

(iii) किसी भी उम्मीद्वार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।

1.5.5 प्रतीक्षा सूची के उम्मीद्वारों को सीट का आवंटन :–

प्रतीक्षासूची के उम्मीद्वारों को रिक्त सीट्स आवंटित की जावेगी।

1.5.6 यात्रा भत्ता देय नहीं :–

उम्मीद्वारों को परीक्षा एवं काउंसिलिग में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

1.6 प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य सेवा :–

सभी चयनित 120 उम्मीदवारों को नर्सिंग कॉलेज में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ–नर्स के पद पर म. प्र. में कहीं भी 7 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध–पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

1.7 प्रवेश रद्द करना :–

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर, सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

1.8 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :–
उम्मीद्वार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 नियमों / प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :–
राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम / प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.10 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :–
बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट–'ब' में दिये गये हैं।

1.11 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान :–
बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप रूपये 5200–20200+2400 (शासन द्वारा समय–समय पर परिवर्तित वेतनमान) में स्टाफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कही भी नियुक्ति प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26 / 93 / 1 / आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट –'द' (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदो के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 120 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:–

नोट :– आवंटन के पश्चात् कॉलेज परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट –अ

क्रं.	कॉलेज का नाम	कुल स्थान	अनारक्षित	अनुसूचित जाति (16%)	अनुसूचित जन जाति (20%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (14%)
1.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जबलपुर	60	30	10	12	8
2.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उज्जैन	60	30	10	12	8
योग		120	60	20	24	16

नोट :– बी.एससी. नर्सिंग में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता जी.एन.टी. के समान होने के कारण सिलेबस जी.एन.टी.एस.टी. का ही रहेगा। जी.एन.एम. एवं पूर्व में संपादित पी.एन.एस.टी. का `लससंइने संलग्न है।

परिशिष्ट –'ब'

बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्ते

1. बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की होगी।

2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।

4. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा। आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के नियम का पालन करना होगा।

5. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.–3/94/1588/1601, दिनांक 7–5–1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।

6. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।

9. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता–पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।

10. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जोन की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।

11. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोलकाल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।

12. छात्राओं को बाहर आने–जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।

13. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।

14. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।

15. छात्राओं द्वारा रू. 2 लाख का अनुबंध (बाण्ड) भरना अनिवार्य है। (शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध (बाण्ड) भरना होगा।)

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अध्याय–1(ब)

GNTST - 2011

;GENERAL NURSING TRAINING SELECTION TEST)
जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (केवल लड़कियों के लिये)

(स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति के लिये)

मध्यप्रदेश शासन

चयन नियम

RULES FOR SELECTION

RULES FOR ADMISSION TO GENERAL NURSING TRAINING
IN SELECTED TRAINING CENTRES
(FOR APPOINTMENT AGAINST THE POST OF STAFF NURSES)

2011

Made and Issued by

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

अध्याय–1(ब)

जी.एन.टी.एस.टी. – 2011
जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम 2011

1.1 सामान्य :

1.1.1 ये नियम राज्य के शासकीय अस्पतालों के जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये कहलायेंगे।

1.1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में स्थित जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते हैं।

1.1.3 परिभाषाएं :

इन नियमों में –

1. श्रेणी से तात्पर्य है 3 श्रेणियों के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी हैं।
2. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
3. टेस्ट से तात्पर्य General Nursing Training Selection Test (GNTST) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा।
4. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है आयुक्त/संचालक (नर्सिंग) तथा उप–संचालक से तात्पर्य है उप–संचालक (नर्सिंग), स्वास्थ्य संचालनालय।

1.2 सीटों का आरक्षण :

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट –''अ''– में दिया गया है।

टिप्पणी :–

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण–पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट :– प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ–जहाँ प्रमाण–पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय–3) देखें।

1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) श्रेणी – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति श्रेणी में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :–

(अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र।

(ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता कानाम, यदि माता–पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ–पत्र।

(स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ–पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

(द) यदि ऐसा शपथ–पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसमें प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी क्रीमीलेयर को छोड़कर – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर श्रेणी में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :–

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :–

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगीः–

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने जिस वर्ष प्रवेश चाहा है उसके ठीक 5 वर्ष की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो।

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित की पुत्री हो –

1. मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुये मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी (निर्धारित प्रारूप देखें)।

अथवा

2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित है अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो जनवरी 2008 को अथवा उसके पूर्व की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो।

3. ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो।

स्पष्टीकरणः–1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी –उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गई दोनों शर्तों 'अ' व 'ब' की पूर्ति करेगा।

अ. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो।

अथवा

उम्मीदवार स्वयं उसके पिता या माता यदि पिता जीवित न हो अथवा यदि माता–पिता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष से ठीक पहले कम से कम पांच वर्षों से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा अचल सम्पत्ति रखता हो।

ब. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक अध्ययन किया जिसमें कक्षा चार से पूर्व शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

उसने मध्यप्रदेश स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा अथवा 12वीं प्रणाली की दसवीं बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी–मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिऐ। इस प्रमाण–पत्र में संदर्भ क्रमांक जारी करने की तिथि कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रवेश के समय अधिवासी संबंधी प्रमाण–पत्र की दोनों शर्तों 'अ' तथा 'ब' के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

स्पष्टीकरण :–2 अभिभावक – किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित दंडाधिकारी की राय में उम्मीदवार के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उनकी अचल संपत्ति का दोनों का वास्तविक संरक्षक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :–3 दत्तक पुत्री – यदि कोई उम्मीदवार सामान्य अथवा किसी आरक्षित संवर्ग में दत्तक पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्री होने के संबंध में समाधानकारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पाँच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/ महाविद्यालय के अभिलेख अथवा गत पांच वर्षों से उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण–पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेखों में दर्ज उम्मीदवार के केवल पिता का नाम ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की दत्तक उम्मीदवार के मामले में यह आवश्यक होगा कि ऐसी उम्मीद्वार गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ही रही हो। ऐसी उम्मीद्वार जो मूलतः अन्य जाति की हो तथा जिन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद ले लिया हो, उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वार को प्राप्त सुविधा एवं लाभ की पात्रता नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः–4 विकलांग उम्मीद्वार के प्रावीण्यता (मैरिट) में आने की स्थिति में विकलांगता के साथ वह उम्मीद्वार स्टाफ–नर्स के पद के कर्तव्यों को निभा सकेगी अथवा नहीं, ऐसा स्टष्ट मत जिला मेडिकल बोर्ड से लिया जाकर प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

1.3.2 शैक्षणिक अर्हता :– इन जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग में प्रवेश हेतु उम्मीद्वार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 की प्रणाली की 12 वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों को लेकर उत्तीर्ण हो।

नोटः– 11वीं हायर सेकेण्ड्री (पुरानी पद्धति) उत्तीर्ण उम्मीद्वारों को पात्रता नहीं है।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त केन्द्रीय स्कूल में 10+2 की कक्षा भौतिकी, जीवविज्ञान एवं रसायन विषयों में 40% से उत्तीर्ण उम्मीद्वारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।

1.3.2.1 अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यार्थियों की पात्रता :– प्रवेश परीक्षा में वे छात्राऐं भी सम्मिलित हो सकती है जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा एवं समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो रही हैं, किन्तु इन छात्रों को अर्हकारी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश की पात्रता सिद्ध करनी होगी। पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर सीट आवंटित नहीं की जावेगी।

1.3.3 आयु सीमा :– 1 जुलाई 2011 तक उम्मीद्वार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहियें। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

1.3.4 स्पष्टीकरण :– आयु–सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.4 चयन प्रकियाः–

1.4.1 जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग के प्रशिक्षण के चयन हेतु म. प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (जी.एन.टी.एन.टी.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूचियां श्रेणीवार उपलब्ध करायी जावेगी।

नोटः— आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीद्वार जो प्रावीण्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों के विरूद्ध गिना जावेगा, उन्हें सामन्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी दोनों में दर्शाया जावेगा। ऐसे उम्मीद्वारों को प्रशिक्षण केन्द्रों का आवंटन संबंधित आरक्षित श्रेणी में उनकी प्रावीण्यता के आधार पर किया जावेगा। ऐसे उम्मीद्वारों को संख्या के बराबर सामान्य श्रेणी के उम्मीद्वारों के लिये उपलब्ध स्थानों को अतिरिक्त रूप से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को मेरिट क्रमानुसार प्रवेश उपलब्ध कराया जावेगा।

1.4.2 इन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न—पत्र होगा। कुल अंक भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी में प्राप्त अंको का योग होगा।

टीप :— अंग्रेजी विषय मे ंन्यूनतम अंक 25 प्रतिशत अनिवार्य न रखते हुये अंग्रेजी भाषा के प्रश्न—पत्र में प्राप्त अंको को भी जोड़ कर प्रावीण्यता सूची तैयार की जावेगी।

1.4.3 समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :— समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर—निश्चित किया जावेगा। प्रथम—जीवविज्ञान, द्वितीय—रसायन, तृतीय—भौतिकी एवं चतुर्थ—अंग्रेजी।

1.4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीद्वारों द्वारा अंको के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से श्रेणी अनुसार योग्यातक्रम सूचियां बनायी जावेंगी।

1.5 प्रवेश हेतु काउंसिलिंग :—

1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम करते समय अंकसूची में भी उम्मीद्वारों के मेरिट क्रम कर वर्गवार (ओपन केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वग) उल्लेख किया जावेगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी एवं मेरिट क्रमानुसार प्रवेश दिया जावेगा, काउंसिलिंग का तिथिवार वर्गवार कार्यक्रम नीचे दिया गया है। उम्मीद्वार परीक्षाफल अंकसूची में दर्शाए मेरिट क्रमांक के अनुसार काउंसिलिंग में उपस्थित हो। परीक्षा परिणाम घोषित होने की प्रत्याशा में निम्न तिथियॉ नियत की जाती है। काउंसिलिंग के लिये स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जावेगा।

काउसिंलिंग में उपस्थित होने की दिनांक	केटेगरी (श्रेणी)	मेरिट क्रमांक (प्रथम चरण)
दिनांक 04.07.2011	ओपन केटेगरी	01 से 200
दिनांक 05.07.2011	अनुसूचित जाति	01 से 60
दिनांक 05.07.2011	अनुसूचित जनजाति	01 से 75
दिनांक 05.07.2011	अन्य पिछडावर्ग	01 से 50

प्रतीक्षारत् उम्मीद्वारों की काउंसिलिंग तिथि निम्नानुसार रहेगी	कैटेगरी (श्रेणी)	प्रतिक्षा सूची में मेरिट क्रमांक (द्वितीय चरण)
दिनांक 20.07.2011	ओपन कैटेगरी	01 से 80
दिनांक 21.07.2011	अनुसूचित जाति	01 से 40
दिनांक 21.07.2011	अनुसूचित जनजाति	01 से 40
दिनांक 21.07.2011	अन्य पिछड़ावर्ग	01 से 40

1.5.2 काउंसिलिंग में उपस्थिति अनिवार्यः–
काउंसिलिंग में जो उम्मीद्वार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होगे उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीद्वारों को मेरिट क्रमानुसार सीट आवंटित की जावेगी। प्रथम चरण की काउंसिलिंग दिनांक 04.07.2011 से 05.07.2011 के बाद केवल शेष रही सीटों के विरूद्ध द्वितीय चरण काउसिलिंग में रिक्त सीट्स उपलब्ध होने की स्थिति में आवंटित की जावेगी ।

1.5.3 काउंसिलिंग का स्थान :–
राज्य सूचना शिक्षा संचार, 1250, जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, तुलसी नगर, भोपाल में नियम 1.5.1 में बताई तिथियों को प्रातः 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी।

1.5.4 काउंसिलिग के लिये प्रमाण–पत्रों की सूची :– उम्मीद्वारों को काउंसिंलिंग में निम्न प्रमाण–पत्र साथ में लाना अनिवार्य है अन्यथा उनको कोई सीट्स आंवटित नहीं की जावेगीः–

1 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची (बायोलॉजी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, साइंस ग्रुप) प्रत्येक की दो–दो सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की गई जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की दो सत्यापित छायाप्रति।
4. मेडिकल बोर्ड जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र ।गर्भवती उम्मीदवार को अपात्र (अनफिट) किया जावेगा।
5. जी.एन.टी.एस.टी. अंकसूची/प्रवेश पत्र मूलतः एवं दो सत्यापित छायाप्रति।

टिप्पणीः–

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वार को स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।
(ii) काउंसिलिंग में आने के पूर्व उम्मीद्वार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय–एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसिलिंग में उपस्थित न हों।
(iii) किसी भी उम्मीद्वार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।

1.5.5 प्रतीक्षा सूची के उम्मीद्वारों को सीट का आवंटन :–
प्रतीक्षासूची के उम्मीद्वारों को रिक्त सीट्स उपलब्ध होने की स्थिति में आवंटित की जावेगी।

1.5.6 यात्रा भत्ता देय नहीं :–
उम्मीद्वारों को परीक्षा एवं काउंसिलिग में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

1.6 चयनोन्परान्त पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य :
चयनोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

1.6.1 प्रशिक्षण के उपरांत 3 वर्ष अनिवार्य सेवाः–
साढे तीन वर्ष के सफल प्रशिखण उपरान्त नर्स के पद पर मध्यप्रदेश में कहीं भी 3 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय जो छात्रवृत्ति के रूप में देय है उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध–पत्र समय पर देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

1.7 प्रवेश रद्द करना :–
यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रमाण–पत्र परीक्षण उपरांत फर्जी पाये जाने की स्थिति में चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीद्वार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में आयुक्त संचालक, चिकित्सा सेवायेंक का निर्णय अंतिम होगा।

1.8 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :–
उम्मीद्वार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 नियमों प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :–
राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.10 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :–
जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट–'ब' में दिये गये हैं।

1.11 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान :–
जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने में के फलस्वरूप इन्हें स्टॉफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेगी। एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बॉण्ड राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

<u>परिशिष्ट –अ</u>

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1/आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट–द (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदो के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 246 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:–

क्रं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल स्थान	अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर
1	2	3	4	5	6	7
1.	हमीदिया अस्प., भोपाल	35	18	5	7	5
2.	एम.वाय.अस्प., इन्दौर	41	20	7	8	6
3.	जे. ए. अस्प., ग्वालियर	41	20	7	8	6
4.	मेडि. कॉ. अस्प., जबलपुर	47	23	7	10	7
5.	जी. एम. अस्प., रीवा	32	16	5	6	5
6.	जि. चि., छिन्दवाड़ा	10	5	2	2	1
7.	जि. चि., खण्डवा	10	5	2	2	1
8.	जि. चि., सागर	20	10	4	4	2
9.	जि. चि., रतलाम	10	5	2	2	1
योग		246	122	41	49	34

<u>परिशिष्ट –ब</u>

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्ते

1. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि साढ़े तीन वर्ष की होगी।
2 प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
4. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा।
5. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.–3/94/1588/1601, दिनांक 7–5–1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
6. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
9. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता–पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
10 प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को साढ़े तीन वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति देय होगी।
11. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जोन की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
12. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
13. छात्राओं को बाहर आने–जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
14. छात्राओं का स्थानान्तरण संबंधी कार्यवाही पी.टी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त रिक्त सीट्स होने पर किया जावेगा।
15. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की ि शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
16. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करनी भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
17. छात्राओं द्वारा 1,00,000/– (एक लाख रूपये) का बॉण्ड भरना अनिवार्य है।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

जी.एन.टी.एस.टी. एवं पी.एन.एस.टी. – 2011 (केवल लड़कियों (Females) के लिए)
अध्याय – 2
निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

महत्वपूर्ण :–

ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसलिंग/प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः बाद में यह पता चलता है कि सफल आवेदिका द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते समय गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार झूठी/गलत जानकारी देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गई है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदिका को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो उसे दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख/प्रवेश प्राधिकरण/मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्ध किया जा सकेगा।

2.1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :–

आवेदिका का फोटोग्राफ व हस्ताक्षर तथा आवेदिका द्वारा यदि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में मध्यप्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो, तो निर्धारित प्रारूप में संचालक, खेल एवं युवक कल्याण से जारी मूल प्रमाण–पत्र की स्कैन की गई हुई प्रति ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज/प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाना है।

2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया :–

(1) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के लिए वेबसाईट www.vyapam.nic.in या www.mponline.gov.in का उपयोग करें।

(2) उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने संबंधी निर्देशों को भलीभांति पढ़ने के उपरांत ही भरें।

(3) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा क्योस्क शुल्क का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट(कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। परीक्षा शुल्क की जानकारी के लिए नियमपुस्तिका का पृष्ठ क्रं. 1 देखें।

(4) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.3 आवदेन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देशः–

(i) आवदेन पत्र के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला फोटोग्राफ परीक्षा की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदिका के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

(iv) काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।

(v) जो फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा, वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना होगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ आवेदिका को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

(vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लुघ हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(vii) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग एवं प्रवेश के समय किये जाने होगें, इसका विशेष ध्यान रखा जाना होगा।

(viii) अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में किये गये हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

2.4 ऑनलाईन आवेदन–पत्र की स्क्रुटनी :–

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की ही स्क्रुटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :–

स.क्रं.	विवरण
1	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ
2	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
3	श्रेणी
4	संवर्ग
5	मूल निवासी
6	जन्मतिथि
7	परीक्षा जिसके लिए आवेदन किया गया है

उपरोक्त जानकारी रिक्त/अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा। चयन उपरांत उपरोक्त सभी जानकारियों का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा काउंसलिंग के समय मूल दस्तावेजों से किया जायेगा।

2.5 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के निरस्तीकरण एवं रेक्टिफिकेशन के संबंध में जानकारी :–

(i) नियम क्रं. 2.2 के आधार पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अनिवार्य जानकारी जिन्हें * से चिन्हित किया गया है, पर ऑनलाईन रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया का प्रावधान होगा। अनिवार्य जानकारी जिन्हें * से चिन्हित किया गया है, के रिक्त होने पर आवेदिका को उसे सुधारने का अवसर ऑनलाईन रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से दिया जायेगा। विशेषकर ध्यान दें कि जिस अभ्यर्थी के आवेदन के साथ फोटोग्राफ प्राप्त नहीं होता है, उसका ऑनलाईन आवेदन–पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा तथा इस पर रेक्टिफिकेशन का प्रावधान भी नहीं रहेगा।

(ii) नियमानुसार निरस्त किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में * से चिन्हित जानकारियों से संबंधित त्रुटि सुधार (रेक्टिफिकेशन) हेतु दिए गए दिशा निर्देशानुसार परीक्षा पूर्व तक एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित त्रुटि सुधार (रेक्टिफिकेशन) शुल्क रू. 100/– एवं एम.पी. ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क रू. 50/– के साथ त्रुटि सुधार (रेक्टिफिकेशन) फार्म वेबसाईट www.vyapam.nic.in या www.mponline.gov.in पर जमा कर ऑनलाईन टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

2.6 परीक्षा प्रवेश–पत्र [Test Admit card (TAC)] :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र (Test Admit card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें परीक्षा तिथि से सात दिन पूर्व से अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बिना प्रवेश–पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण – प्रवेश–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने या वापस लेने का संपूर्ण अधिकार मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को होगा।

2.7 परीक्षा शहर :– यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी :–

1. भोपाल	2. इन्दौर	3 ग्वालियर	4. जबलपुर

किसी परीक्षा शहर में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है।

2.8 परीक्षा कक्ष में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

(1) मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से डाउनलोड/प्रिंट किया हुआ प्रवेश–पत्र (TAC)

(2) काला बॉलप्वाइंट पेन।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री जैसे कि सेल्यूलर/मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल, रफ पेपर आदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष में नहीं पाई जाना चाहिए अन्यथा अभ्यर्थी के यू.एफ.एम. प्रकरण दर्ज किया जा सकता है तथा परीक्षा में बैठने से भी वंचित किया जा सकता है।

2.9 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।
(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे । साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

2.10 परीक्षा पद्धति :—

(1) जी.एन.टी.एस.टी. की परीक्षा प्रातः काल की शिफ्ट में तथा पी.एन.एस.टी. की परीक्षा सायंकाल की शिफ्ट में सम्पन्न होगी। इन परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्नों का एक—एक प्रश्न—पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसमें संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा। उत्तरशीट की समस्त प्रविष्टियॉ भी काले बॉल प्वाइंट पेन से करना होगी।

नोटः— प्रश्न संरचना के अंतर्गत बोल्ड में दर्शाये गये अनिवार्य विषय तथा शेष वैकल्पिक विषय हैं

2.11 पाठ्यक्रम :—

पाठ्यक्रम नियम पुस्तिका के अध्याय—3 में दर्शाया गया है।

2.12 मूल्यांकन पद्धति :—

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.13.1 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :—

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :—

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3.. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।

5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.13.2 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप –10 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में बिन्दु क्रमांक 2.13.1 अनुसार त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी। आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2.14 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

अध्याय–1(अ) एवं 1(ब) में उल्लेखित परीक्षा प्रवेश नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नोटिस बोर्ड तथा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise modal answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

2.15 अंक सूची :–

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों को अंकसूची का डाक द्वारा प्रेषण नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को अपनी अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से रोल नंबर के आधार पर डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा।

2.16 डुप्लीकेट अंकसूची :–

डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त नियम क्रं. 2.14 में दर्शाये अनुसार अभ्यर्थी अंकसूची प्राप्त कर उसका उपयोग कर सकते हैं।

2.17 प्रवेश निरस्तीकरण :–

यदि यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो उम्मीदवार को दिया गया

प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के प्रवेश रद्ध किया जा सकेगा।

2.18 मण्डल का दायित्व :–

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परीक्षा परिणाम घोषित करना मात्र होगा। पी.ई.पी.टी. परीक्षा–2011 संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.19 परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत किसी भी कारण से ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी में कोई भी संशोधन मान्य/स्वीकार नहीं होगा।

2.20 क्षेत्राधिकार :–

परीक्षा संचालन संबंधी किसी भी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

––0––

अध्याय–3

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र – 1 :
उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ–पत्र
(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम : ....

पिता का नाम : ....

जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम : ....

धर्म : ....

व्यवसाय : ....

पता : ....

....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :–

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला ....के लिए घोषित .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .... जिला .... के समक्ष जाति प्रमाण–पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक .... को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी :– जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

प्रपत्र – 2 :

उम्मीदवार के पिता / माता / वैध अभिभावक का शपथ–पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ....जिला.. मध्यप्रदेश

पुस्तक कमांक ....

प्रमाण–पत्र कमांक........................ प्रकरण कमाक.....................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम.................................... निवासी ग्राम / नगर ....वि. खं..............................तहसील..... ....जिला..संभाग...जाति / जनजाति...का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचिज जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुकमांक ....पर अंकित है. अतः श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम... ....अनुसूचित जाति / जनजाति का / की है।

3. प्रमाणित किया जात है कि आवेदिका श्री / श्रीमती / कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ....हैं।

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

दिनांक ....

(सील)

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अथ है संविधान के अनुच्छेद 342 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण–पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर / अतिरिक्त कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी, वृहत / मध्यम / एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर।

प्रपत्र – 3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप : नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) .... आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला/संभाग ....मध्यप्रदेश के निवासी है जो ....जाति ....के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री.. (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .... संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–7–16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमाक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक..

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

(सील)

प्रपत्र – 4 :

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती / कुमारी (उम्मीदवार का नाम) .... श्री / कुमारी ....के पिता / माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील जिला .... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :–

दिनांक .... (कार्यालय सील)

प्रपत्र – 5 :

अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी .... आत्मजा पत्नी श्री ....ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या ....(संस्था का नाम) में सत्र .... से सत्र तक .... अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालय सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 6 :

वास्तविक निवासी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी .... आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती .... जो तहसील ....जिला............................... मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त –

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान ....

....

दिनांक ....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

टिप्पणी :– जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र – 7 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी .... श्री/श्रीमती..का /की/पुत्री है।

(क) जो .... विभाग में ....पर .... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए .... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

....

कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी .... श्री / श्रीमती...का /की / पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2006 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि .... में मध्यप्रदेश में स्थित .... विभाग में .... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन / सार्वजनिक उपक्रम का / की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर..................................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी .... श्री / श्रीमती...का / की / पुत्री है, जो .... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन /मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (त्मेमजजसमउमदज`बीमउम) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर..................................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रारूप–10

(देखें नियम 2.13.2)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं .... परीक्षा में अनुक्रमांक .... से परीक्षा केन्द्र.. से सम्मिलित हुआ/हुई हूँ । मेरे द्वारा प्रश्न–पुस्तिका कोड .... के सेट क्रमांक.................. हल किया गया है । इस प्रश्न–पत्र के निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं:–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.................................

आवेदक का नाम.....................................

परीक्षा का नाम..

अनुक्रमांक..

परीक्षा केन्द्र का नाम...............................

स्थान ....

दिनांक ....

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा)

अध्याय–4 SYLLABUS

1. PHYSICS

Unit and Dimensions, Dimensional Analysis, S.I, Units, Motion in two dimensions cases of uniform velocity and uniform acceleration, general relation among position and velocity, uniform circular motion and inertia. Newton's laws of motion, Conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. work energy and power elastic collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conservations to its kinetic energy. Potential energy of a spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum, moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis.(moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats and constant volume and constant pressure mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's law and Newton's law of cooling.

Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due to spring. wave motion, principle of superposition, progressive and stationery waves, beats and Doppler effect.

Wave nature of light, interference ,young's double slit experiment, velocity of light and Doppler effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, lenses, mirror and lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope.

"e" and "e/m" for and electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay

constant, half life and mean life, mass energy relation, fissions, X- ray, properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semiconductors, p-n junction as a rectifier.

Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field , tangent galvanometer, vibration maganetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Guass's law in a simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacities in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm's law, Kirchhoffs laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance, Wheat stone bridge, potentiometer.

Measurement of voltage as currents.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis thermoelectricity Blot Savart law, magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field(Lorentz force), magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvonometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced e.m.f., Faradays law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance, growth and decay of current in L-R circuit, elementrary idea if dynamo and transformer.

2. CHEMISTRY :

GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY

Structure of atom: constitutions of nucleus: Bohr's atom model: quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto Kr): De-Broglie relation, shapes of orbitatis.

Chemical bond: electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridisation(sp): hydrogen bond: shapes of molecules(VSEPR theory): bond polarity, resonance, elements of VBT a MOT.

Solutions: models of expressing concentrations of solutions: types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non- ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid state: crystal lattices, unit cells, structure of ionic compounds: close packed structure ionic radi, imperfections(point defects): properties of solids.

Nuclear chemistry: radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement law structure and properties of nucleus: nucleus reaction, disintegration series artificial transmutation: isotopes and their uses: radiocarbon dating.

Chemical equillibrium: chemical equillibrium, law of mass action: Kp and Kc: Le Chatelier principle and its applications.

Ionic equilibrium in solutions, solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: PH: buffers.

Thermochemistry and thermodynamics: energy changing due to chemical reaction: instrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law heats of reactions: second law of themodynamics: energy free energy: spontaneity of a chemical reaction: free energy change and chemical equilibrium: free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetic: rate of a reaction, factors affecting the rates, rate constant rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: oxidation, oxidation number and ion- electron methods. Electrolytic conduction, Faraday's law: voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials. Nernest equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion.

Surface chemistry, colloids and catalysis: Adsorption, colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, catalysis types and characteristics.

INOGRANIC CHEMISTRY:

Principle and metallurgical operations: furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

Chemical periodicity s.p.d and f-block elements, periodic table: periodicity: atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electro negativity, metallic character.

Comparative study of elements: comparative study of following families of elements 1. Alkali metals 2. Alkaline earth metals 3. Nitrogen family 4. Oxygen family 5. Halogens 6. Noble gases.

Transition metals: electronic configuration of 3d metal ions, oxidation states, other general characteristics properties, potassium permanganate, potassium dichromate.

Co-ordination compounds: simple nomenclature, bounding and stability, classification and bonding in organometallics.

Chemical analysis: chemistry involved is simple inorganic quilitative analysis: calculations based on acid base titrimetry.

ORGANIC CHEMISTRY:

Calculations of empirical and molecular formula of organic compounds, nomenclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkanes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkynes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of heloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: general ideas of some polyhalogen compounds viz dicholorothanes dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of elhers aldehydes, ketones, corboxylic acids and their derivatives, brief account of the chemistry of cyanides isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers: classification: preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Bio-molecules: classification, structure and biological importance of carbohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

3. BOTANY :

Structure organisation of cell, cell theory . Light and electron microscopic view of cells. structure and functions of cell organalles : nucleous mitochondria , Chloroplast, Endoplasmic reticulum, Golgi complex lysosome,

micro bodies, microfilaments ribonsomes. Centrioles and plasmids, Eukaryotic chromosome (morphology) cell and plasma membrane. Difference between cell and animal division, cell cycle significance of mitosis and meiosis.

Mendel's law of inheritance, monohyobrid and dihybrid cross; linage and crossing over of genetic material DNA relication, genetic code transcription and gene regultion.

Difference between prokaryote and eukaryotes: structure reproduction and economic importance of viruses Mycoplasma, Bacteriophage, cynobacteria (Nostoc) and bacteria.

Five kingdom classification binomial nomenclature: external morophology and life cycle of spirogyra mucor, funaria selaginella and pinus .

Elementary knowledge of microsporogenesis, megasporongenesis. Fertilization endosperm and embroyo development in angiosperms.

Tissue and tissue systems, meristematic and permanent tissue, mineral nutrition essential elements and their functions: uptake of minerals transport of water and solutes.

Transpiration photosynthesis and respiration: importance, mechanism and factors affecting these processess: photorespiration.

Enzymes and growth hormones with reference to their classification, chemical nature, mode of action importance. Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem - structure and function, major ecosystems i.e lake and forest; food chain., food web and energy flow, ecological crises role of man in polluting environment - air water and soil.

Role of plants in human welfare: a general knowledge of plant products of economic value drugs, fibers, cereals.

Wheat and rice, pulses(gram), oil seeds(ground nut), sugarcane, coal and petroleum,

Food preservation methods and importance.

Principle of plant breeding and its role in improvement of crops, biotechnology, scope and importance in agriculture and industries manufacture of cheese. yoghurt alcohol antibiotics.

ZOOLOGY :

MULTICELLULARITY- STRUCTURE AND FUNCTION OF ANIMAL LIFE:

- Structure and function of animal tissues epithelial, connective muscular, skeletal and nerve.
- Histology of mammalian organs - stomach, intestine, liver, kidney, lung, testes and ovary.
- Structure and physiology of different organ systems of human body. Skin, digestive system, respiratory system, circulatory system.
- Skeleton, joints, muscles on the basic of movement receptors.
- Endocrine system with special reference to various endocrine glands of man and hormonal co ordination.
- Vitamins and minerals (source and disorders due to deficiencies).

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND GENETICS:

- Female reproductive cycle in mammals. Gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum. Types of eggs, fertilization, types of cleavage and blastula, development of mammals upto three garminal layers. Foetal membrane structure and functions.
- Growth, repair, ageing, amniocentesis.
- Chromosomes, types of chromosome, human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, hormonal, chromosomal and genic balance theory of sex determination, sex linkage and sex linked inheritance in man, blood group and their significance, blood bank.
- Tissue culture, genetic engineering(brief idea), mutation gene mutation.
- Human population natality mortality, sex ratio population, explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing health and standard of living impact of population problems and their control.

TAXONOMY EVOLUTION ECONOMIC ZOOLOGY:

- Classification- bionomial and trinomial nomenclature, basic features of classification, classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.

- Origin of life, theories of organic evolution- Darwin, Lamarck, synthetic evidence of organic evolution, human evolution.
- Economic zoology/sericulture, apiculture, lac culture, poultry, fishery and pearl industry.
- Protozaon disease in relation to man, insect carrying diseases in relation to man.
- Cancer types of cancer and cancer cell communicable diseases (Hepatitis, AIDS) . STD, immune response, vaccines and antisera allergies.
- Smoking, alcoholism and drug addition, symptoms and control.
- Wild conservation.
- Pesticides - users, advantages and hazards.

4. GENERAL ENGLISH

1. Reading Comprehension
2. Vocabulary items inculding synonyms and antonyms, word formation, Prefixes, Suffixes.
3. Grammar and usage :
   (a) Articles and determiners.
   (b) Agreement between the subject and the verb.
   (c) Time and tenses.
   (d) Prepositions and phrasal verbs.
   (e) Auxiliaries including modals.
4. Transformation of sentences.
   (a) Voices : active and passive.
   (b) Narration : direct and indirect.
   (c) Degrees if comparison
   (d) Sentences types : Affirmative, negative and interrogative.
5. Common errors.
6. Spelling (the British pattern of spelling will be followed).

<u>परीक्षार्थियों के लिए उत्तरशीट भरने हेतु निर्देश</u>

अध्याय-5

परीक्षा का प्रारंभ एवं ओ.एम.आर. में उत्तर अंकित करने की विधि :-

1. (क) अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. उत्तरशीट में प्रविष्टियां जैसे नाम, रोल नं. आदि भरने के लिये परीक्षा आरंभ में मात्र 10 मिनिट का समय दिया जाएगा।

   (ख) निर्धारित 10 मिनट के पश्चात् अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका दी जावेगी, जिसमें अभ्यर्थी को निम्नानुसार कार्यवाही करना होगी :-

   (i) प्रश्न पुस्तिका में चारों तरफ से लगी हुई कागज की सील देख लें। बिना कागज की सील लगी अथवा खुली हुई प्रश्न पुस्तिका स्वीकार न करें।

   (ii) प्रश्न पुस्तिका के पृष्ठों तथा प्रश्नों की संख्या का मिलान इस मुख पृष्ठ पर दी गई संख्याओं से कर लें। यदि इसमें कोई भिन्नता हो तो कृपया प्रश्न पुस्तिका बदल लें। यह कार्यवाही आपको प्रश्न पुस्तिका मिलने के मिनिट के अंदर करनी है। इसके पश्चात न तो प्रश्न पुस्तिका बदली जायेगी और न ही अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

   (iii) प्रश्न पुस्तिका के जाँच के उपरांत प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक अपनी उत्तर शीट में अंकित करें एवं काले बाल प्वाइंट पेन से संबंधित गोलों को भरें।

2. (क) दी गई ओ.एम.आर. उत्तर शीट के पृष्ठ 1 के ऊपरी आधे हिस्से में अपना नाम, रोल नं., परीक्षा का नाम, परीक्षा केन्द्र का नाम, परीक्षा तिथि एवं प्रश्न–पुस्तिका की क्रम संख्या अंकित करें तथा अपने हस्ताक्षर भी करें। इसी पृष्ठ के निचले आधे हिस्से में सबसे ऊपर की लाइन में बने □ चौखाने में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में प्रथमतः अपना सरनेम एवं इसके पश्चात् नाम लिखें। एक चौखाने □ में एक ही अक्षर लिखें, फिर प्रत्येक अक्षर के नीचे उसी अक्षर वाले ◯ गोले को काले बाल प्वाइंट पेन से गहरा काला भरें।

   (ख) ओ.एम.आर. उत्तर शीट के पृष्ठ क्र. 2 पर रोल नं., आदि □ चौखाने में लिखें एवं संबंधित ◯ गोले को काले बाल प्वाइंट पेन से काला करें।

(ग) ओ.एम.आर. उत्तर शीट के पृष्ठ क्र[illegible]2 पर प्रश्नों के उत्तर अंकित किया जाना है।

3. ओ.एम.आर. उत्तर शीट में काले बाल प्वाइंट पेन से भरे गोलों ◯ की प्रविष्टियों को ही पढ़ती है। अतः परीक्षार्थियों को सचेत किया जाता है कि वे ओ.एम.आर. उत्तर शीट के पृष्ठ 1 व 2 पर प्रविष्टियों को भरते समय पूर्ण सावधानी बरतें एवं कोई त्रुटि न करें।

4. ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर निर्धारित स्थानों पर वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण करने के अतिरिक्त अन्य कुछ न लिखें।

5. **ओ.एम.आर. उत्तरशीटों में उत्तर अंकित करने की विधि :-**

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अभ्यर्थी को चार संभावित उत्तरों में से केवल एक उत्तर चुनना है। इस चुने हुए उत्तर के गोले को बाल प्वाइंट पेन से काला करें। यदि असावधानीवश किसी अन्य गोले में अभ्यर्थी द्वारा कोई चिन्ह लग जाता है, या रेखा खिंच जाती है तो पूरी संभावना है कि ओ.एम.आर. स्केनर द्वारा इसे 'पढ़' लिया जावेगा, जिसका प्रभाव उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन पर होगा। अतः अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका के रखरखाव में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

उदाहरण :-

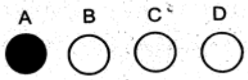

6. **मूल्यांकन पद्धति :**

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple Marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

7. **उत्तर शीट एवं प्रश्न पुस्तिका वीक्षक को सौंपना :**

(i) वीक्षक को ओ.एम.आर. उत्तरशीट सौंपने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. उत्तर शीट के दोनों पृष्ठों पर सभी प्रविष्टियाँ जैसे–नाम, रोल नम्बर, हस्ताक्षर, प्रश्न पुस्तिका का नम्बर, आदि निर्धारित स्थान पर अंकित कर दिये गए हैं।

(ii) परीक्षा उपरान्त परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है यदि अभ्यर्थी जाने-अनजाने में प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाता है तो उसे यू.एफ.एम. प्रकरण के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

8. **ओ.एम.आर. उत्तरशीट के उपयोग में सावधानी :**

ओ.एम.आर. उत्तरशीट का उपयोग करते समय पूर्ण से सावधानी बरतें। इसे फटने, मोड़ने या सलवट पड़ने से खराब न होने दें।